राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 182/2010/कोटा.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, कोटा. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स पार्थ इण्डस्ट्रीज,
एच–323(डी) रोड़ नं0 6, IPEA. कोटा. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 10/02/2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, कोटा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 13/वैट/2009–10/कोटा में पारित किये गये आदेश दिनांक 13.07.2009 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घंट–द्वितीय, कोटा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि दिनांक 01.04.2008 से 30.09.2008 के लिये वेट अधिनियम की धारा 25(1), 55 व 61 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 04.05.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 01.10.2008 को किया जाने पर पाया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा पानी को फिल्टर तथा आर.ओ. से प्रोसेस एवं शीतल करके 20 लीटर के जार में कर मुक्त विक्रय किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त विक्रय को वेट अधिनियम की अनुसूची–I की प्रविष्ठि संख्या 36 'Water sold in container' के अनुसार करमुक्त पानी से अलग मानते हुए, अनुसूची–V के तहत 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए, आलौच्य अवधि के दौरान किये गये कुल विक्रय रूपये 8,47,091/– पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर रूपये 1,05,886/–, कर योग्य माल को करमुक्त दर्शाते हुए विक्रय किये जाने के कारण करापवंचन के लिये वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति रूपये

मनोहर पुरी

लगातार.....2

2,11,172/— एवं धारा 55 के तहत ब्याज रूपये 9,530/— कुल रूपये 3,27,188/— का आरोपण आदेश दिनांक 04.05.2009 अन्तर्गत वेट अधिनियम की धारा 25(1), 55 व 61 के तहत किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2009 से स्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि वेट अधिनियम की अनुसूची—I की प्रविष्ठि संख्या 36 में कन्टेनर में विक्रय किये जाने वाले पानी को करमुक्त पानी से अलग माना गया है, ऐसी स्थिति में इस पर सामान्य दर से करदेयता बनती है। प्रविष्ठि 36 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जो पानी कन्टेनर में विक्रय किया जायेगा, वह कर योग्य है। उक्त प्रविष्ठि में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कन्टेनर भी पानी के साथ विक्रय किया जायेगा अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी द्वारा पानी को फिल्टर तथा आर.ओ. से प्रोसेस करके कैम्पर में विक्रय किये जाने के कारण यह सामान्य दर से कर योग्य है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी द्वारा कैम्पर में विक्रय किये गये पानी पर करारोपण की कार्यवाही किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है, जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा केवल पानी का ही विक्रय किया जाता है। पानी को आर.ओ. से प्रोसेस एवं शीतल कर कैम्पर में भरकर विक्रय किया जाता है। कैम्पर का उपयोग सिर्फ पानी को सुरक्षित क्रेता तक पहुंचाने के लिये किया जाता है, ना कि पानी के साथ ही विक्रय कर दिया जाता है। वेट अधिनियम की अनुसूची—I की प्रविष्ठि 36 के अनुसार वह पानी कर योग्य है, जो कन्टेनर सहित विक्रय किया जाता है। प्रत्यर्थी द्वारा कन्टेनर के विक्रय का व्यवसाय नहीं किया जाता है, बल्कि पानी को शुद्ध एवं शीतल करके विक्रय किया जाता है। कन्टेनर का उपयोग पानी के सुगम एवं सुरक्षित परिवहन हेतु किया जाता है। ऐसी स्थिति में पानी पूर्णतः करमुक्त है एवं प्रत्यर्थी द्वारा करमुक्त ही विक्रय किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त **(1997) 21 आर.टी.जे. एस. 149 (आर.टी.टी.) मैसर्स आर. एन. प्रोडक्ट्स, जोधपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड—द्वितीय, वृत—बी, जोधपुर** तथा **माननीय**

लगातार.....3

राजस्थान कर बोर्ड के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, द्वितीय, भीलवाड़ा बनाम मैसर्स सरिता वाटर सिस्टम्स में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2004 को उद्धरित करते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया।

6. प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा पानी को फिल्टर तथा आर.ओ. से प्रोसेस करके 20 लीटर के कैम्पर में भरकर उपभोक्ताओं को रूपये 20/— प्रति कैम्पर की दर से विक्रय किया जाता है। उक्त प्रक्रिया में यह निर्विवादित है कि प्रत्यर्थी द्वारा उपभोक्ताओं को केवल पानी की सप्लाई/विक्रय किया जाता है, कैम्पर का उपयोग पानी को सुरक्षित उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिये किया जाता है, ना कि विक्रय किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा पानी का विक्रय किया गया है एवं पानी के सुगम परिवहन के लिये कैम्पर का प्रयोग किया गया है।

7. प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर वेट अधिनियम की अनुसूची—I की प्रविष्ठि संख्या 36 का अवलोकन किया जाना जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :—

> **36. Water other than aerated, mineral, distilled, medicinal, ionic, battery, de-mineralized water and water sold in container.**

8. उक्त प्रविष्ठि का स्पष्ट आशय है कि कन्टेनर सहित विक्रय किया जाने वाला प्रसंस्करित जल (Processed Water) अर्थात् 1 लीटर व 2 लीटर की बोतलों में भरकर विक्रय किये जाने वाला पानी ही कर योग्य है, इसके अतिरिक्त अन्य पानी करमुक्त है, जैसा कि हस्तगत प्रकरण में किया गया है। जबकि उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में केवल पानी का विक्रय किया गया है, कैम्पर का उपयोग पानी के सुगम एवं सुरक्षित परिवहन के लिये किया गया है, ना कि विक्रय के लिये।

9. इसी प्रकार विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों **(1997) 21 आर.टी.जे.एस. 149 (आर.टी.टी.) मैसर्स आर. एन. प्रोडक्ट्स, जोधपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड—द्वितीय, वृत—बी, जोधपुर** तथा **माननीय राजस्थान कर बोर्ड के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, द्वितीय, भीलवाड़ा बनाम मैसर्स सरिता वाटर सिस्टम्स में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2004** में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पानी को प्रोसेस एवं शीतल करके कैम्पर में बेचे जाने पर कर आरोपणीय नहीं है।

लगातार.....4

10. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत पानी को किसी गैस द्वारा चार्ज किया गया है अथवा उसमें किसी प्रकार के रसायन आदि का प्रयोग किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा केवल अशुद्ध पानी को आर.ओ. से प्रोसेस करके पीने योग्य बनाया गया है, जिसमें किसी अन्य वस्तु का मिलाया जाना अथवा हटाया जाना, कर निर्धारण आदेश से स्पष्ट नहीं होता है। अतः प्रत्यर्थी द्वारा बिक्रीत पानी, शुद्ध पेयजल के रूप में बिक्रीत किया गया है, जो कि वेट अधिनियम की अनुसूची–I की प्रविष्ठि संख्या 36 अनुसार कर मुक्त है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 12.5 प्रतिशत की दर से कर, तदनुसार ब्याज एवं शास्ति आरोपित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

11. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर, अपीलीय आदेश दिनांक 13.07.2009 की पुष्टि की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया।

(मनोहर पुरी)
सदस्य

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष